मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 8097 / NR-4/2010 भोपाल, दिनांक 31 / 07 / 10

प्रति,

महत्वपूर्ण समय सीमा

कलक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी–स्कीम

जिला समस्त (म.प्र.)

विषयः– ग्रामीण सम्पर्क सडक योजना हेतु प्रदाय नरेगा प्रशासनिक मद के एम.आई.एस. किये जाने बाबत्।

संदर्भः– 1. म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 3630 / एमजीएनआरईजीएस एम.पी. / एनआर–4 / 2010 भोपाल दिनांक 14 / 04 / 2010 (बारह मासी सडक योजना परिपत्र–5)।

2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 6472 वित्त एवं लेखा एनआर4 / एनआरईजीएस एमपी / 2010 / भोपाल दिनांक 30 / 06 / 2010

----000----

विषयान्तर्गत संदर्भ में ग्रामीण सम्पर्क सडक योजना हेतु संदर्भित पत्र के तारतम्य में आपसे संबंधी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को नरेगा प्रशासनिक मद की राशि आपके माध्यम से प्रदाय की गई है।इससे आप भली भाँति अवगत है।

लेख है कि सम्बंधित कार्यपालन यंत्री को तत्काल निर्देशित करे कि इस मद में हुय व्यय की नियमानुसार एम.आई.एस. करायेगें साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के स्तर पर किये जा रहे एम.आई.एस. में कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया व्यय भी सम्मिलित रहेगा।

परन्तु इस संबंध में किया जा रहा व्यय स्पष्ट रहे अतः आपके कार्यालय पर जिले के नरेगा प्रशासनिक व्यय एवं ग्रामीण सम्पर्क सडक योजना संबंधी नरेगा प्रशासनिक व्यय पृथक–पृथक प्रपत्र–10 (यह प्रपत्र आपको परिषद के पत्र क्र. 4618 वित्त एवं लेखा / एनआर–4 / एनआरईजीएस एम पी / भोपाल दिनांक 06 / 05 / 2010 द्वारा भेजा गया है) में संधारित किया जाकर परिषद मुख्यालय को पृथक–पृथक प्रतिमाह की 15 तारीख तक भेजा जायेगा।

कार्यपालन यंत्रियो को इस कार्यालय के पत्र क्र. 6472 वित्त एवं लेखा एनआर–4 / एनआरईजीएसएमपी / 2010 / भोपाल दिनांक 30 / 06 / 2010 द्वारा (जिसकी प्रतिलिपि आपको भी दी गई है) नरेगा प्रशासनिक व्यय रिपोर्ट करने के प्रपत्र भेजे गये है इन प्रपत्रो का भी संधारण आपको करना है। परिषद द्वारा इस संबंध में आपसे जानकारी चाही जायेगी। इन्ही प्रपत्रो से प्रपत्र–10 तैयार किया जायेगा। कार्यपालन यंत्रियो के प्रशासनिक व्यय में एफ–24 कोड पृथक से खोला गया है। यह कोड आपके कार्यालय के लिये लागू नही है।

निरं.

अतः चाही गई जानकारी प्रतिमाह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें एव कार्यपालन यंत्री से अनिवार्य रूप से एम.आई.एस. कराना सुनिश्चित करें।

(शिवशेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

पृ.क्रमांक / 8098/ NR-4/2010 भोपाल, दिनांक 31 /07/ 10

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत.............समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त जिले........................(म.प्र.)की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार तत्काल समय सीमा में जिला कार्यक्रम समन्वयक से सम्पर्क कर एम.आई.एस. कराना सुनिश्चित करे यह आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल